

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 अप्रैल 2017—वैशाख 1, शक 1939

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद् के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2017

क्र. एफ-8-1-2017-चौवन-1.—राज्य शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने की एकीकृत कौशल विकास प्रशिक्षण योजना नियम, 2015 के स्थान पर विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी हेतु

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों की निःशुल्क "रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजना वर्ष 2017-18" की निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान करता है :-

प्रस्तावना.—जन संकल्प 2013 एवं दृष्टि पत्र 2018 में पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक वर्ग के शिक्षित अभ्यर्थियों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु विविध रोजगारमूलक परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया गया है. वर्तमान में विभाग द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु इस दिशा में विभाग के एक मात्र प्रशिक्षण केन्द्र राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया गया है. मध्यप्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने हेतु इस प्रशिक्षण केन्द्र की क्षमता सीमित है. केन्द्र में मात्र 150 अभ्यर्थियों हेतु प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध है. विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने से इस क्षेत्र में विभाग की वर्तमान प्रशिक्षण सुविधा अपर्याप्त है. अतः इस क्षेत्र में बढ़ती हुई स्पर्धा एवं नियोजन की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये कम्प्यूटर एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं यथा संघ/राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा, राज्य शासन के प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड/केन्द्रीय कर्मचारी चयन आयोग/आई.बी.पी.एस./रेल्वे/अन्य समकक्ष संस्थाओं द्वारा विभिन्न श्रेणी के पदों की पूर्ति हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं, विभिन्न तकनीकी एवं व्यवसायिक संस्थानों के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा यथा—जे. ई. ई. मेन्स एवं एडवान्स, ए. आई. पी. एम. टी./एन. ई. ई. टी., क्लेट, सी. ए. इत्यादि एवं विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न एक वर्षीय (कम्प्यूटर से संबंधित रोजगारोन्मुखी सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम साथ में एकीकृत व्यक्तित्व विकास) पाठ्यक्रम हेतु तैयार करने एवं निःशुल्क प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग द्वारा प्रदेश के संभागीय मुख्यालयों एवं अन्य प्रमुख जिलों में निःशुल्क गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है, जिससे की प्रदेश के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के युवक-युवतियों को, विशेषकर बालिकाओं को अपने गृह जिले/निकटतम जिले में प्रशिक्षण की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध हो सके. प्रारंभ में इन केन्द्रों का संचालन अनुभवी एवं मान्यता प्राप्त कुशल प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से किया जायेगा.

2. **उद्देश्य.**—प्रदेश के प्रमुख शिक्षा केन्द्रों पर परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना का उद्देश्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थियों को नियोजन की मांग के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर रोजगार के अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं यथा राज्य लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, केन्द्रीय कर्मचारी चयन आयोग, रेल्वे, बैंकिंग, बीमा क्षेत्र की सेवाओं के अतिरिक्त केन्द्र/राज्य शासन द्वारा आयोजित विभिन्न तकनीकी एवं व्यावसायिक विषयों की प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं आदि की तैयारी एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के विविध एकवर्षीय रोजगारोन्मुखी कम्प्यूटर से संबंधित सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों हेतु निःशुल्क एवं गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है ताकि अधिक संख्या में प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर अभ्यर्थी रोजगार में स्थापित हो सकें एवं आत्म निर्भर बन सकें.

3. प्रशिक्षण की रूपरेखा.—

3.1 **प्रशिक्षणदाता संस्थानों के चयन हेतु पात्रता मापदण्ड.**—योजनान्तर्गत निम्नलिखित योग्यताधारी संस्थाएं वित्तीय अनुदान/सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होंगी :-

- 3.1(1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के एक वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु राज्य में स्थित यू. जी. सी. एवं राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय अथवा प्रशिक्षण संस्थान.
- 3.1(2) प्रशिक्षण संस्था का वैध पंजीयन सोसाईटी/ट्रस्ट/भागीदार फर्म/प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप में होना आवश्यक है.
- 3.1(3) प्रशिक्षण संस्थाओं के चयन में उच्च सफलता दर प्रदर्शित करने वाले/प्लेसमेंट उपलब्ध कराने वाले संस्थानों को वरीयता दी जावेगी.
- 3.1(4) प्रशिक्षण योजना अंतर्गत ग्रुप ए, बी एवं सी अंतर्गत प्रशिक्षण की प्रकृति भिन्न-भिन्न होने से किसी एक ग्रुप के प्रशिक्षण हेतु अनुभवी संस्थाएं अन्य ग्रुप के प्रशिक्षण हेतु अन्य उत्कृष्ट प्रशिक्षण संस्थानों से अनुबंध कर प्रशिक्षण कार्य संचालित कर सकती है, परन्तु आवेदक प्रशिक्षण संस्थाओं को किसी एक ग्रुप के प्रशिक्षण कार्य का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य होगा.

- 3.1(5) **सुसज्जित अधोसंरचना.**—प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त अधोसंरचना एवं सहायक उपकरण इत्यादि की उपलब्धता होना आवश्यक है तथा प्रशिक्षण हेतु संस्था के पास न्यूनतम 3000/- स्कवायर फीट क्षेत्रफल आवश्यक हैं.
- 3.1(6) **अनुभवी एवं योग्य फेकल्टी.**—संस्था के पास प्रशिक्षण के विषय में केन्द्र/राज्य शासन द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यताधारक एवं अनुभवी फेकल्टी का होना आवश्यक है. आवेदक संस्थान द्वारा प्रशिक्षकों को पृथक् से नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना आवश्यक होगा.
- 3.1(7) **पेयजल एवं शौचालय व्यवस्था.**—प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षणार्थियों के लिए शुद्ध पेयजल व्यवस्था एवं महिला-पुरुष प्रशिक्षणार्थियों के लिए पृथक् से पर्याप्त संख्या में शौचालयों का होना आवश्यक है.
- 3.1(8) **समृद्ध लायब्रेरी/कम्प्यूटर.**—प्रशिक्षण संस्थान के पास नवीन संस्करणों की पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षण के विषय से संबंधित पर्याप्त पुस्तकों की अद्यतन समृद्ध लायब्रेरी एवं नवीन कम्प्यूटर इत्यादि का होना आवश्यक है.
- 3.1(9) **संस्था का आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना.**—प्रशिक्षण संस्थान आर्थिक रूप से सक्षम हो एवं विभाग द्वारा जारी की जाने वाली अनुदान राशि की उपलब्धता में विलम्ब होने की दशा में स्वयं के संसाधनों से प्रशिक्षण कार्य संचालित करने में सक्षम हो. प्रशिक्षण संस्थानों का विगत 3 वर्ष का औसत टर्न ओवर 50 लाख या अधिक होने पर प्राथमिकता दी जाएगी.
- 3.1 (10) **सफलता/प्लेसमेंट की स्पष्ट कार्य योजना.**—प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षणार्थियों के प्लेसमेंट की स्पष्ट एवं व्यवहारिक कार्य योजना प्रशिक्षण संस्थान के पास उपलब्ध हो.

3.2 प्रशिक्षण संबंधी अन्य आवश्यक शर्तें/मापदण्ड.—

- 3.2(1) कंडिका 03 में वर्णित अनुसार प्रशिक्षण संस्थानों का चयन विज्ञापन के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित कर विभाग द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से निर्धारित मापदण्डों के अधीन प्रारंभिक 02 वर्षों के लिये किया जाएगा इसके उपरान्त प्रशिक्षण संस्थानों की सफलता दर तथा उनके द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम के गुण-दोष के आधार पर विभाग द्वारा आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन हेतु निर्णय लिया जाएगा.
- 3.2 (2) प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अतिरिक्त व्यक्तित्व विकास का पाठ्यक्रम की अध्यापन, व्यावहारिक कम्प्यूटर ज्ञान एवं केरियर गाईडेन्स का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.
- 3.2(3) प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम की समाप्ति उपरान्त विभाग को वार्षिक प्रतिवेदन सौंपा जाएगा, जिसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम का लक्ष्य, उपलब्धि एवं सफलता की दर, वार्षिक वित्तीय लेखों का विवरण, दी गई अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि सम्मिलित होंगे.
- 3.2 (4) प्रशिक्षण हेतु चयनित संस्थानों के कार्य, प्रशिक्षण की गुणवत्ता सफलता की दर की समीक्षा विभाग द्वारा की जाकर आगामी वर्ष हेतु इनकी निरंतरता के संबंध में निर्णय लिया जावेगा. प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं सफलता की दर संतोषजनक न होने की स्थिति में एकतरफा अनुबंध निरस्त करने एवं निर्धारित ब्याज सहित दी गई अनुदान राशि वसूल करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा.
- 3.2(5) योजनान्तर्गत प्रशिक्षण कार्य की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु प्रशिक्षण संस्थान द्वारा शैक्षणिक रूप से योग्यताधारी एवं अनुभवी अतिथि अध्यापक के चयन की जिम्मेदारी संबंधित प्रशिक्षण संस्थान की होगी एवं अतिथि अध्यापक का मानदेय का निर्धारण प्रशिक्षण शुल्क की राशि से संबंधित प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा किया जाएगा.

3.3 चयन समिति का गठन.—प्रशिक्षण संस्थानों का चयन विज्ञापन के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित कर मुख्यालय स्तर पर निम्नानुसार चयन समिति गठित कर किया जावेगा :—

1.	प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग.	अध्यक्ष
2.	म. प्र. शासन उच्च/तकनीकी शिक्षा विभाग के नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
3.	आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, म. प्र. भोपाल	सदस्य
4.	संचालक राज्य स्तरीय एवं प्रशिक्षण केन्द्र, (पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण) भोपाल.	सदस्य
5.	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	सदस्य

3.4 अभ्यर्थियों के चयन के मापदण्ड.—योजना अंतर्गत निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु पात्र अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया एवं चयन के मापदण्ड निम्नानुसार होंगे :—

- 3.4(1) प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन समाचार-पत्रों में/वेबसाईट पर विज्ञापन प्रकाशित कर एवं उनसे आवेदन प्राप्त कर, मेरिट के आधार पर स्थानीय स्तर पर अभ्यर्थियों के चयन हेतु गठित समिति के माध्यम से किया जावेगा.
- 3.4(2) अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम हायर सेकेण्डरी अथवा संबंधित प्रवेश परीक्षा के लिए निर्धारित मापदण्ड अनुसार होगी.
- 3.4(3) अभ्यर्थी को वांछित पाठ्यक्रमों/भर्ती परीक्षाओं में दाखिले के लिए निर्धारित अर्हक परीक्षा में अंकों की अपेक्षित प्रतिशतता प्राप्त की होनी चाहिए.
- 3.4(4) प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 35 वर्ष के मध्य होगी.
- 3.5(5) योजना अंतर्गत म. प्र. के मूल निवासी, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी/छात्र पात्र होंगे, जिनके परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित क्रीमिलेयर की सीमा से अधिक न हो.
- 3.4 (6) अभ्यर्थी/छात्र को योजना का लाभ केवल एक बार ही प्राप्त हो सकेगा, चाहे अवसरों की संख्या कितनी भी हो. तत्संबंध में चयनित प्रशिक्षण संस्थान को अभ्यर्थी/छात्रों से एक शपथ पत्र लेना आवश्यक होगा कि उन्होंने इसके पूर्व राज्य/केन्द्र शासन की किसी प्रशिक्षण योजना अंतर्गत कोई लाभ नहीं लिया है.
- 3.4 (7) योजना के अंतर्गत चयनित प्रशिक्षणार्थियों/छात्रों को सम्पूर्ण प्रशिक्षण अवधि में उपस्थित होना अनिवार्य होगा. बिना किसी पूर्व सूचना एवं वैध कारण के 15 दिन से अधिक अनुपस्थित होने की दशा में प्रशिक्षणार्थियों पर किया गया सम्पूर्ण व्यय संबंधित प्रशिक्षण संस्थान/प्रशिक्षणार्थी से वसूल किया जावेगा. विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति अंकित करने हेतु उपस्थित पंजी के अतिरिक्त बायोमेट्रिक मशीन का उपयोग किया जाएगा.
- 3.4(8) कुल स्वीकृत प्रशिक्षणार्थियों में से 30 प्रतिशत स्थान महिला प्रशिक्षणार्थियों के लिए एवं 03 प्रतिशत स्थान निःशक्तजनों के लिए चिन्हित होंगे. उक्त स्थानों पर अन्य प्रशिक्षणार्थियों का चयन केवल उसी दशा में किया जा सकेगा, जब पात्रता अनुसार महिला/निःशक्तजन उम्मीदवार उपलब्ध न हो.

3.5 प्रशिक्षण हेतु पात्र अभ्यर्थियों के लिए चयन समिति.—चयन प्रशिक्षण केन्द्रों में नियम अनुसार प्रशिक्षणार्थियों के चयन हेतु स्थानीय स्तर पर एक चयन समिति का गठन किया जावेगा, जिसमें संस्थान के पदाधिकारी, विषय विशेषज्ञ एवं विभाग के मुख्यालय अथवा जिला स्तर के अधिकारी (सहायक संचालक/निरीक्षक) सम्मिलित होंगे। यह समिति अभ्यर्थियों की योजना में निर्धारित आय सीमा एवं शैक्षणिक योग्यता की मेरिट एवं अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के आधार पर प्रशिक्षणार्थियों का चयन करेगी।

3.6 प्रशिक्षण कार्य की गुणवत्ता एवं प्रशिक्षक का चयन.— प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षण कार्य की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण के लिए योग्य, अनुभवी प्रशिक्षकों का एक पेनल बनाएगी एवं समय-समय पर उन्हें प्रशिक्षण विषय संबंधी नवीनतम ज्ञान से अद्यतन रखेगी।

3.7 योजना की नोडल एजेंसी.—विभाग की ओर से इस प्रशिक्षण योजना की नोडल एजेंसी कार्यालय संचालक, राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र, (पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का संस्थान) भोपाल होगी। योजनान्तर्गत सभी चयनित प्रशिक्षण केन्द्रों को प्रशिक्षण संबंधी शुल्क की राशि का वित्तीय प्रवाह/भुगतान विभाग की नोडल एजेंसी द्वारा किया जावेगा एवं परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों की राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग/समन्वय जानकारी के संकलन का कार्य नोडल एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा।

3.8 योजना की राशि मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम को अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जाएगी एवं निगम द्वारा प्रशिक्षण की नोडल एजेंसी राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र (पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण), भोपाल के प्रस्ताव अनुसार प्रशिक्षणदाता संस्था को ई-पेमेंट के द्वारा भुगतान किया जाएगा।

3.9 विभाग के इस राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा इस योजना के वित्तीय मापदण्डों के अनुसार म. प्र. राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में सफल पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों को राज्य लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस केन्द्र द्वारा योजना निधि से विभागीय स्वीकृतिनुसार समय-समय पर प्रतियोगिता/दक्षता/कौशल विकास से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

3.10 योजना के वित्तीय मापदण्ड.—

3.10(1) योजनान्तर्गत चयनित प्रशिक्षण संस्थानों को प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने हेतु राज्य शासन से शत-प्रतिशत अनुदान/ वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

3.10(2) योजनान्तर्गत पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के युवक एवं युवतियों को निम्नलिखित समूह अनुसार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। समूहवार प्रशिक्षण अवधि, अनुदान के रूप में स्वीकृत प्रशिक्षण शुल्क की राशि एवं प्रशिक्षणार्थियों को प्रदान की जाने वाली शिष्यवृत्ति की जानकारी का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक	प्रशिक्षण का प्रकार	प्रतियोगी परीक्षा हेतु भर्ती ग्रुप	अवधि	प्रशिक्षण शुल्क प्रति छात्र (संपूर्ण प्रशिक्षण अवधि के लिए) (रूपये)	शिष्यवृत्ति की राशि प्रतिमाह (रूपये)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	समूह "ए"	संघ/राज्य शासन द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से विभिन्न पदों की पूर्ति हेतु आयोजित की जाने वाली राज्य सेवा परीक्षा एवं राज्य शासन के प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड/केन्द्रीय कर्मचारी चयन आयोग/आई. बी. पी. एस./रेल्वे/एम.पी. सी. पी. सी. टी. एवं अन्य समकक्ष संस्थाओं द्वारा विभिन्न श्रेणी के पदों की पूर्ति हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं।	08 माह (न्यूनतम 800 घंटे)	प्रशिक्षण संस्था द्वारा प्रस्तावित प्रशिक्षण शुल्क अधिकतम सीमा 30,000/- तक (सम्पूर्ण प्रशिक्षण अवधि).	1,000/- मुख्यालय से बाहर के अभ्यर्थियों के लिए एवं 500/- स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए (अधिकतम छः माह हेतु).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	समूह "बी"	विभिन्न तकनीकी एवं व्यवसायिक संस्थानों के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा यथा-जे. ई. मेन्स एवं एडवान्स, ए. आई. पी. एम. टी./एन. ई. ई. टी., क्लेट, सी. ए. इत्यादि तकनीकी/व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाएं.	08 माह (न्यूनतम 800 घंटे)	प्रशिक्षण संस्था द्वारा प्रस्तावित प्रशिक्षण शुल्क अधिकतम सीमा 30,000/- तक (सम्पूर्ण प्रशिक्षण अवधि).	1,000/- मुख्यालय से बाहर के अभ्यर्थियों के लिए एवं 500/- स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए (अधिकतम छः माह हेतु).
3	समूह "सी"	(अ) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न एकवर्षीय रोजगारोन्मुखी सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम (पी.जी.डी.सी.ए/डी.सी.ए./कैशन डिजाइन/ गारमेंट मैकिंग पाठ्यक्रम इत्यादि) साथ में एकीकृत व्यक्तित्व विकास पाठ्यक्रम/सॉफ्ट स्किल. (सामान्य अध्ययन, सामान्य गणित, अंग्रेजी, तर्कशक्ति, एप्टीट्यूड टेस्ट, एम. पी. सी. पी. सी. टी., प्रशिक्षण इत्यादि.	विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षा सत्र (न्यूनतम 800 घंटे)	प्रशिक्षण संस्था द्वारा प्रस्तावित प्रशिक्षण शुल्क अधिकतम सीमा 30,000/-	1,000/- मुख्यालय से बाहर के अभ्यर्थियों के लिए एवं 500/- स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए (अधिकतम छः माह हेतु).

नोट.—प्रशिक्षण हेतु इस ग्रुप में चयनित अभ्यर्थियों हेतु पृथक से पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त नहीं होगा.

नोट.—सभी समूह के प्रशिक्षणों के साथ बैसिक कम्प्यूटर ज्ञान का प्रशिक्षण आवश्यक.

- 3.10(3) उपरोक्त वित्तीय मापदण्डों के आधार पर प्रवेश लेने वाले प्रति अभ्यर्थी के मान से गणना कर राशि अनुदान के रूप में संबंधित प्रशिक्षणदाता संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी.
- 3.10(4) शिष्यवृत्ति की पात्रता हेतु अभ्यर्थी की प्रशिक्षण में प्रत्येक माह 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक होगी.
- 3.10(5) इस योजना के तहत प्रवेश लेने वाले छात्रों को सभी कक्षाओं में उपस्थित रहना होगा. यदि कोई विद्यार्थी किसी वैध कारण के बिना 15 दिन से अधिक तक अनुपस्थित रहता है या कोचिंग/प्रशिक्षण को बीच में छोड़ देता है तो उस अभ्यर्थी पर किया गया पूरा खर्च संबंधित संस्थान/विद्यार्थी/अभ्यर्थी से वसूल किया जाएगा.
- 3.10(6) विभाग द्वारा प्रशिक्षणदाता संस्थान को अनुदान के रूप में स्वीकृत प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान 03 किशतों में कार्य की प्रगति के आधार पर निम्नानुसार किया जायेगा :—
- (अ) **प्रथम किशत.**—योजनान्तर्गत नियमानुसार प्रशिक्षण संस्थान का चयन होने पर नोडल एजेन्सी के साथ अनुबंध निष्पादित करने पर एवं प्रशिक्षणार्थियों के चयन की सूची नोडल एजेन्सी को प्रस्तुत करने पर कुल स्वीकृत प्रशिक्षण शुल्क की 30 प्रतिशत राशि प्रशिक्षण संस्थान को प्रथम किशत के रूप में उपलब्ध करायी जाएगी.
- (ब) **द्वितीय किशत.**—प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ होने पर एवं प्रशिक्षण प्रदायक संस्था द्वारा प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ करने के उपरान्त आवश्यक जानकारी नोडल एजेन्सी कार्यालय में प्रस्तुत करने के पश्चात् कुल स्वीकृत प्रशिक्षण शुल्क की 40 प्रतिशत राशि प्रशिक्षण संस्थान को द्वितीय किशत के रूप में उपलब्ध करायी जाएगी.
- (स) **तृतीय किशत.**—अभ्यर्थियों की उपस्थिति, प्रशिक्षण कार्य की प्रगति, असेसमेंट, सर्टिफिकेशन एवं प्लेसमेंट उपरान्त जानकारी निर्धारित प्रपत्र में नोडल एजेन्सी को प्रस्तुत करने के पश्चात् कुल स्वीकृत प्रशिक्षण शुल्क की 30 प्रतिशत राशि. प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान संबंधित प्रशिक्षण प्रदायक संस्था के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से किया जायेगा.

3.10 (7) प्रशिक्षण शुल्क में सम्मिलित राशि .—(अ) चयनित प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध करायी गई प्रशिक्षण शुल्क राशि से प्रशिक्षकों को मानदेय, भवन किराया, पंजीयन शुल्क, असेसमेंट शुल्क का भुगतान, पुस्तकालय, स्टूडेंट किट, शिक्षण सामग्री एवं आवश्यक सहायक उपकरणों की व्यवस्था आदि की जायेगी.

(ब) प्रशिक्षण शुल्क की राशि से पात्रता अनुसार शासन संबंधी देय करों का भुगतान प्रशिक्षणदाता संस्थान द्वारा किया जाएगा. इस हेतु पृथक् से राशि स्वीकृत नहीं की जाएगी. टी. डी. एस. स्त्रोत पर ही काटा जायेगा.

3.10(8) प्रशिक्षण संस्थान, चयनित प्रशिक्षणार्थियों को प्रतिमाह निर्धारित दर पर स्वीकृत शिष्यवृत्ति की राशि 75 प्रतिशत उपस्थिति को ध्यान में रखते हुये उनके आधार लिंक बैंक खातों में इलेक्ट्रानिक माध्यम से सीधे उपलब्ध कराएगा. इस हेतु प्रशिक्षण संस्थान को प्रशिक्षण शुल्क के अतिरिक्त पृथक् से शिष्यवृत्ति राशि उपलब्ध करायी जाएगी.

अभ्यर्थी के अनुपस्थित रहने की दशा में शिष्यवृत्ति की शेष राशि संबंधित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा विभाग को पूर्ण वितरण देते हुए वापिस की जाएगी.

3.11 अनुबंध पत्र का निष्पादन.—प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चयनित प्रशिक्षण संस्थान को विभाग की नोडल एजेंसी कार्यालय संचालक, राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल के साथ एक लिखित अनुबंध निष्पादित करना होगा जिसमें प्रशिक्षण संबंधी समस्त आवश्यक शर्तों एवं निर्देशों का उल्लेख किया जाएगा, जो दोनों पक्षों के लिये बाध्यकारी होगा.

3.12 प्रशिक्षण शुल्क के संबंध में सुरक्षा निधि (जमा राशि).—चयनित प्रशिक्षण संस्थानों को नोडल एजेंसी के नाम से देय रुपये 5,00,000/- (रूपये पांच लाख) की प्रतिभूति नोडल एजेंसी कार्यालय में अनुबंध पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी, जिससे कि प्रशिक्षण अवधि में चयनित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता करने की स्थिति में संबंधित प्रशिक्षण संस्थान से भुगतान की गई प्रशिक्षण शुल्क की राशि की नियमानुसार वसूली की जा सके. सफलता पूर्वक प्रशिक्षण कार्य पूर्ण करने पर संबंधित प्रशिक्षण संस्था को उसके द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रतिभूति मूलतः वापस कर दी जाएगी.

3.13 सफलता एवं प्रतिफल की दर.—चूंकि योजनान्तर्गत स्वीकृत ग्रुप ए, बी एवं सी के पाठ्यक्रमों के स्तर में भिन्नता है तथा इन प्रवेश परीक्षाओं की सफलता की दर भी भिन्न-भिन्न है. अतः विभागीय योजनान्तर्गत ग्रुप-ए एवं बी के प्रशिक्षण के प्रतिफल के आंकलन हेतु प्रशिक्षणार्थियों का स्वतंत्र, एजेंसी से थर्ड पार्टी असेसमेंट कराया जावेगा. असेसमेंट हेतु एजेंसी का निर्धारण प्रतिवर्ष विभाग द्वारा पृथक् से किया जावेगा. इस असेसमेंट में सफलता की न्यूनतम दर 50 प्रतिशत अनिवार्य होगी. जी. मेन्स एवं ग्रुप सी अंतर्गत मूल परीक्षा में सफलता की न्यूनतम दर 70 प्रतिशत होना अनिवार्य होगी.

3.14 प्लेसमेंट का फॉलोअप.—प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आगामी दो वर्षों तक प्रशिक्षणार्थियों के प्लेसमेंट का फॉलोअप किया जाएगा एवं प्लेसमेंट की जानकारी विभाग की नोडल एजेंसी को उपलब्ध करायी जाएगी. अधिक सफलता एवं प्लेसमेंट करने वाली संस्थाओं को आगामी चयन में प्राथमिकता दी जाएगी.

3.15 निरीक्षण.—निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु चयनित प्रशिक्षण कार्य का निरीक्षण मुख्यालय एवं विभाग के जिला अधिकारियों/विभाग की चयनित नोडल एजेंसी द्वारा समय-समय पर किया जाएगा.

3.16 मूल्यांकन.—योजना का मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रशासकीय विभाग द्वारा कराया जायेगा. प्रशिक्षणार्थियों का इकाई मूल्यांकन संबंधित प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रतिमाह किया जाकर उसके अभिलेख सुरक्षित रखे जाएंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश एस. थेटे, सचिव.